न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 170/2018 दायरा दिनांक : **20.07.2018**

उनवान

तूफानसिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी खोखरियाकलां तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— अंतर बाई आत्मज फतेसिंह पत्नी अर्जुनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ऐरा का खेड़ा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2— जेलरसिंह आत्मज फतेसिंह जाति राजपूत, निवासी पायरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

3— विक्रम सिंह आत्मज शिवसिंह, जाति राजपूत, निवासी खोखरियाकलां तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

4— शंकर बाई पत्नी स्वर्गीय गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी खोखरियाकलां तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

5— मानबाई आत्मज फतेसिंह पत्नी भगवानसिंह, जाति राजपूत, निवासी मउदी, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

6— थानबाई आत्मज फतेसिंह पत्नी मांगीलाल, जाति राजपूत, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

7— शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक गुराडियाकलां, तहसील पचपहाड़

8— शाखा प्रबन्धक, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिवर्तित नाम बडोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गुराडियाकलां, तहसील पचपहाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

9— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 18.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 84 / 2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया कि ग्राम खोखरियाकला तहसील पचपहाड़ में आराजी खसरा नम्बर 630 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 700 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 725 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 730 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 739 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल 6 किता की 17 बीघा 19 बिस्वा स्थित है । वादीगण ने अपने को फतेसिंह का उत्तराधिकारी बताते हुए उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा था । दौराने वाद राजस्व लोक अदालत केम्प भवानीमण्डी में वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य हुए समझौते के आधार पर वादीगण को खसरा नम्बर 630 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा आराजी का खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित की गई जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई थी जिसका उद्देश्य पक्षकारान की आपस में समझने पर हक के अनुसार डिक्री जारी करने

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की संज्ञेयता है । मौजूदा मामले में तो प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी काक हक विवादग्रस्त अविभाजित खसरा नम्बर 630 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में हक ही मुताबिक जमाबंदी 1/2 था जिस बाबत प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने हक के सम्बन्ध में ही निर्णय के बार में सहमति दी थी किन्तु लोक अदालत में राजीनामा प्रपत्र पर राजीनामे लिखने वाले व्यक्ति ने सहवन से रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में से 1/2 हि जगह 2 बीघा हक वादीगण को खातेदार घोषित करने को लिख दिया जिससे पक्षकारान में विवाद बना हुआ है, न्यायहित में इस राजीनामें को कानून की परिधि में संशोधित किया जाना अपरिहार्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.05.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 630 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के बाबत राजीनामा हुआ था । जमाबंदी में अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा है । अपीलांट ने 1/2 हिस्से की सहमति दी थी, अपीलांट ने 2 बीघा की सहमति नहीं दी थी जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

राजीनामा समस्त पक्षकारों के मध्य होता है । प्रकरण में जो राजीनामा दर्शाया गया है, उसमें केवल तीन पक्षकारों को शामिल किया गया है, शेष पक्षकारों की सहमति असहमति का कोई उल्लेख नहीं है जो राजीनामे की श्रेणी में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया गया है । मात्र तीन पक्षकारों द्वारा राजीनामा कर प्रकरण का निर्णय किया गया है, जो वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के मुताबिक नहीं है । अतः प्रकरण को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मुताबिक रिकार्ड व वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार प्रकरण का नये सिरे से विधि सम्मत निस्तारण करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा